(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 755–पीबीआर/2000 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.03.2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 385/97–98/अपील

---

1. रामचरन पुत्र छन्चू किरार
2. नारायण पुत्र छन्चू किरार
   निवासीगण दीगोढी परगना
   कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

गीताबाई पुत्री रघुवर पत्नी नकटूराम
निवासी कुम्हरौआ तह0 कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 20/02/2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 385/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.03.2000 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा–89 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि ग्राम

(3)

दीगोदी के खाता कमांक 252 के 1/2 हिस्सा एवं खाता क. 249 के 1/4 हिस्से की भूमिस्वामी बंदोबस्त के पूर्व थी, बंदोबस्त के उपरांत आवेदकगण के नाम आधा–आधा भाग का भूमि स्वामी अंकित हो गया, जिसे सुधार की मांग की। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.1997 द्वारा अनावेदिका का हिस्सा 1/4 अंकित किए जाने के आदेश दिए। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.07.1998 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। जिसके विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील पेश की गई। जो अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2000 द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि संहिता की धारा 89 की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को हैं जा समस्त तहसीलदारों को प्रत्यायोजित की गई है, न कि समस्त नायब तहसीलदारों को प्रत्यायोजी पुनः प्रत्यायोजन नायब तहसीलदारों को नहीं कर सकता। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो अधिकार रहित है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदिका का आवेदन खसरा प्रविष्टि सुधार हेतु था, जिसे संहिता की धारा–116 के अधीन अशुद्ध प्रविष्टि के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर आवेदन किए जाने पर शुद्ध किया जा सकता है अन्यथा नहीं। अतः विवादित भूमि से अनावेदिका का कोई स्वत्व न होने के कारण उसका आवेदन संहिता की धारा 89 अथवा 116 के अधीन ग्राह्य ही नहीं था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदकगण को तारीख पेशी बदलने की सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदाय किए बिना अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित

आदेश पारित किया गया है, जो संहिता की धारा–41 नियम 7 एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि खाता कमांक 252 में कुल किता 10 सर्वे नम्बरान में 1/2 एवं खाता कमांक 249 में कुल किता 12 सर्वे नम्बरान में 1/4 की हिस्सेदार थी, जो कि बन्दोवस्त के पूर्व अभिलेखों में दर्ज था। बन्दोवस्त के दौरान अनावेदिका का नाम छूट गया था, जिसकी जानकारी नकल प्राप्त करने पर हुई एवं संहिता की धारा–89 के अंतर्गत तहसीलदार को प्रविष्टि सुधारने हेतु आवेदन दिया गया था। संहिता की धारा–89 के अंतर्गत बन्दोवस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को है। अतः तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश उचित बताते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश को देखन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभिलेख के अवलोकन के उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह पाया है कि अनावेदक बन्दोबस्त पूर्व एक खाते में 1/2 व दूसरे खाते में 1/4 का भूमि स्वामी दर्ज है। बन्दोवस्त के दौरान उसका नाम बिना किसी वैध आदेश के छोड़ दिया गया है। उक्त कारण से उन्होंने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर